कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कृष्णदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विकासनगर, बून्दी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री कृष्णदत्त शर्मा, द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2934/2019 कृष्णदत्त शर्मा, बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2934/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय 24.10.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और अभ्यावेदन निस्तारण तक अपीलार्थी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

अपीलार्थी द्वारा विभाग के समक्ष अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलेडा जिला बून्दी अथवा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपीलार्थी श्री कृष्णदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गान्दोली खुर्द, केशोरायपाटन जिला बून्दी में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता) 16/01
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/कृष्णदत्त शर्मा/2934/2019 **दिनांकः** 16.01.2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/बीकानेर संभाग, कोटा/बीकानेर
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी/श्रीगंगानगर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बून्दी/श्रीगंगानगर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री कृष्णदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner